उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

सिविल संशोधन संख्या 18/2004

नगर पालिका परिषद जसपुर, जिला ऊधमसिंह नगर द्वारा कार्यकारी अधिकारी।

.....संशोधनवादी।

बनाम

(1) सूरज सिंह, पुत्र स्वर्गीय श्री भूप सिंह,
(2) सत्य सिंह, पुत्र स्वर्गीय श्री भूप सिंह,
(3) आनंद सिंह, पुत्र स्वर्गीय श्री भूप सिंह,
निवासीगण–मौहल्ला पट्टी चहन जसपुर, जिला उधमसिंह नगर।

.....उत्तरदाता।

माननीय प्रफुल्ल सी. पंत, जे.

पुनरीक्षणकर्ता के वकील श्री राजेश चंदोला और श्री सर्वेश अग्रवाल और प्रतिवादियों के वकील श्री जेसी बेलवाल ने भी सुनवाई की।

(2) इस संशोधन के माध्यम से, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के तहत, संशोधनवादी ने 2002 के सिविल वाद संख्या 48 में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित मुद्दे संख्या 3 पर निष्कर्ष को चुनौती दी है।

(3) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि वादी (वर्तमान उत्तरदाता) ने सिविल जज के समक्ष 2002 का मुकदमा संख्या 48 दायर किया (कनिष्ठ न्यायालय), काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर ने दलील दी कि कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के कारण, खसरा नंबर 111, जिसका क्षेत्रफल 2.94 एकड़ है, गांव जसपुर, पट्टी मंशा, तहसील काशीपुर की सीमा के भीतर है। उपरोक्त कथनों के आधार पर, वादी ने निचली अदालत के समक्ष नगर पालिका परिषद (प्रतिवादी) के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया। ऐसा प्रतीत होता है कि सिविल कोर्ट–I के अधिकार क्षेत्र के बारे में लिखित वक्तव्य में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है, जिसे विवाद्यक संख्या 3 के रूप में तैयार किया

गया था। ट्रायल कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद विवाद्यक नंबर 3 को नकारात्मक रूप में फैसला दिया कि इसका अधिकार क्षेत्र है।

(4) संशोधनवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि, निश्चित रूप से, विचाराधीन भूमि एक कृषि भूमि है और वादी रिकॉर्ड किए गए कार्यकाल धारक नहीं हैं। इस तथ्य को वादी/उत्तरदाताओं द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाता है कि वे रिकॉर्ड किए गए कार्यकाल धारक नहीं हैं। ऐसा होने के नाते यह निषेधाज्ञा की आड़ में मालिकाना हक की घोषणा का एक स्पष्ट मामला है, जिसके लिए सिविल कोर्ट के पास मुकदमे की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन), काशीपुर द्वारा 2002 के वाद संख्या 48 में मुद्दे संख्या 3 पर दर्ज किया गया निष्कर्ष, कि इसका अधिकार क्षेत्र है, कानून के खिलाफ है, इसलिए, रद्द किया जा सकता है।

(5) वादी के वकील ने तर्क दिया कि नगर पालिका का मामला कि भूमि उसकी है, एक जाली दस्तावेज के आधार पर, क्योंकि पट्टी मंशा को कभी भी नगर पालिका परिषद को हस्तांतरित नहीं किया गया था। उक्त दस्तावेज की सराहना सक्षम अदालत द्वारा की जा सकती है, जहां मुकदमा संज्ञेय है।

(6) इन टिप्पणियों के साथ, इस संशोधन की अनुमति है। विवाद्यक संख्या 3 पर ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को रद्द कर दिया जाता है। विवाद्यक संख्या 3 वादी के खिलाफ फैसला किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वाद पत्र, वाद को वादी को वापस कर देगा।

(प्रफुल्ल सी. पंत, जे)

दि. 28.5.2007

एन.एस